

प्रथम सूचना रिपोर्ट

1.जिला गुडगांव थाना एस.वी.बी वर्ष 2016 प्र.सू.रि.स 5 दिनांक 10.02.2016

2.अधिनियम पी.सी एक्ट धाराएं 7 पी.सी एक्ट

अन्य अधिनियम एवं धाराएं - - - - -

(क) घटना का दिन बुधवार दिनांक से दिनांक 10.02.2016

(ख) थाने पर प्राप्त सूचना दिनांक 10.02.2016 समय 2.00 पी.एम

(ग) (रोजनामचा संदर्भ) (प्राविष्टि संख्या) 8 समय 2.05 पी.एम

4.(सूचना कैसे प्राप्त हुई) बजरिया सपैषल मैसेंजर (लिखित/मौखिक) : लिखित

5. घटना स्थान का ब्यौरा (क) (थाने से दिशा एवं दूरी) पूर्व - दक्षिण लगभग 55 कि०मी०

(ख) पता : पी०एस०नूंह

(ग) (यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो, तब उस) (उस थाने का नाम) मेवात नूंह

6. (शिकायतकर्ता/इतला देने वाला) :-

(क) नाम : रिसाल सिंह (ख) (पिता/पति का नाम) श्री श्याम लाल

(ग) (जन्म तिथि) (घ) (राष्ट्रीयता) भारतीय

(ड) पासपोर्ट सं०

(जारी करने की तिथि) (जारी करने का स्थान)


(च) (व्यवसाय) कर्मचारी (पता) गांव आकेडा तहसील नूंह जिला मेवात

7. (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण)

1. रतनवीर कम्पनी कमांडर

होमगार्ड विभाग जिला-मेवात

इस समय एक तहरीर हिन्दी हस्ताक्षरी श्री निरीक्षक कुलवंत सिंह रा०चौ०ब्यूरो गंडगांवा बदस्त सि० प्रवीन कुमार न० 323/FBD बराये कायमी मुकदमा थाना हजा में प्राप्त हुई जिसका विषय इस प्रकार से है, "सेवा में इंस्पेक्टर साहब विजिलेंस मेवात, श्रीमान जी, मैं रिसाल सिंह सपुत्र श्याम लाल जाति जाटव, गांव आकेडा तहसील नूंह जिला मेवात का रहने वाला हूँ। तथा थाना नगी मे होमगार्ड लगा हुआ। मैं अपने भतीजे राजेन्द्र सपुत्र लजराम वासी गांव आकेडा जिला मेवात को जिला होमगार्ड विभाग मेवात में होमगार्ड लगवाने के लिए



श्री रतनवीर सैन्टर कमाण्डर से मीला तो श्री रतनवीर सैन्टर कमाण्डर होमगार्ड मेवात ने मेरे भतीजे राजिन्द्र को होमगार्ड लगाने के 3,000/-रु० मांगे ओर कहाकी पैसे लिया ना राजेन्द्र होमगार्ड लगा देंगे जो रतनवीर बिना रिश्वत लिए मेरे भतीजे राजिन्द्र को होमगार्ड नहीं लगायेगा हमारी उससे कोई दुश्मनी नहीं है। जिसने आज रिश्वत के 3,000/-रु० लेकर कार्यालय में आने को कहा है उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावे। प्रार्थी हस्ताक्षर हिन्दी रिसाल सिंह 9050925774 दिनांक 10.02.2016 कार्यवाही पुलिस आज मन निरीक्षक मय साथी मुलाजमान के वा गाडी सरकारी HR03K1781 के कार सरकार में कार्यालय यूनिट SVB मेवात हाजिर हूँ कि श्री रिसाल सिंह सुपुत्र श्री श्याम लाल वासी गांव आकेडा तौ नूंह जिला मेवात ने वय मय अपने भतीजे राजिन्द्र सुपुत्र लाज राम के हाजीर कार्यालय आकर एक लिखित दरखास्त बाबत मांगने रिश्वत उपरोक्त पेश की। जो मजबूत दरखास्त से सरेदस्त सूरत जूर्म जेर धारा 7पी0सी0एक्ट का सरजद होना पाया जाने पर तहरीर हजा बराये कायमी मुकदमा बदस्त C प्रवीण कुमार न0 323/FBD के थाना भेजी जा रही है बाद कायमी मुकदमा न0 पर्चा से सुचित किया जावे जथा स्पेशल रिपोर्ट बदस्त स्पेशल संदेवाहक इलाका मजिस्ट्रेट वा अफसरान बाला की सेवा में भिजवाई जावे। मन निरीक्षक ने एक रैडिंग पार्टी जिसमें एस0आई0 सत्यप्रकाश, ए0एस0आई0 यशपाल, ई0ए0एस0आई0 विजय कुमार, एच0सी0 वेदपाल, मुदई रिसाल सिंह, श्री राजेन्द्र के तैयार करके बासवारी गाडी सरकारी न0 HR03K1781 चालक ई0एच0सी0 रामानन्द के तफतीशी बैग साथ लेकर बराये लेने रेड अनुमति वा नियुक्त कराने ड्यूटि मजिस्ट्रेट रेडिंग पार्टी को साथ लेकर रवाना उपायुक्त कार्यालय मेवात का होता हूँ। हस्ता अंग्रेजी निरीक्षक कुलवंत सिंह P.S.S.V.B.GGN दिनांक 10.02.2016 at 12.10pm अज कार्यालय युनिट S.V.B. मेवात अज थाना आमदा तहरीर पर मुकदमा हजा बा जुर्म मजकूर दर्ज रजिस्टर किया गया FIR की पांच प्रतिया बजरिया कार्बन एक ही समय में चाक ही गई जो सेवा में अफसरान बाला भेजी जावेगी। एक पर्त प्रथम सूचना रिपोर्ट बतौर स्पेशल रिपोर्ट सेवा में ईलाका मजिस्ट्रेट साहब मेवात नूहें बदस्त आरिन्दा C प्रवीण कुमार न0 323/ FBD भेजी जा रही है। असल-मिसल पुलिस मय आमदा तहरीर भी मोका पर पहुँचाने हेतू इसी आरिन्दा CT के हवाले की गई।



थाना प्रभारी का नाम

नाम : अमित कुमार

पद : निरीक्षक

सख्यां :

दिनांक 10.02.2016 समय 3.3।0 पी.एम

Attested

निरीक्षक

चौकसी ब्यूरो (ह०)
गुडगांव मण्डल गुडगांव